प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 289/22 दिनांक 20/7/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 375 समय 3.45 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 18.07.2022 समय 12.05 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 16.07.2022 समय 12.10 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 320 किलोमीटर
(2) पता – पुलिस थाना चंदेरिया जिला चितौड़गढ
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री गजराज सिंह हाड़ा
(2) पिता का नाम : श्री गोपाल सिंह
(3) आयु : 26 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : क्रन्स्ट्रक्शन से सम्बन्धित कार्य करना ।
(7) पता : निवासी रामदेव जी का चन्देरिया जिला चितौड़गढ़।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री नानचाराम पिता दुर्गाप्रसाद सैनी निवासी गुहाला थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल कानि 445 पुलिस थाना चन्देरिया जिला चितौडगढ़

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	2000 रूपये	

परिवादी के विरूद्व थाना चंदेरिया जिला चितौड़गढ़ में दर्ज परिवाद को रफा–दफा कराने के एवज में 2000 रूपये लेते हुए श्री नानचाराम कानि 445 पुलिस थाना चंदेरिया जिला चितौडगढ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 2000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक महो.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा –प्रथम

विषयः–रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने हेंतु!

महोदयजी,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी गजराजसिंह निवासी रामदेवजी का चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ तथा मैं हिरो मोटरसाईकिल फायनेन्स कम्पनी में काम करता हूँ तथा मोटरसाईकिल इत्यादि के मासिक किश्तों का कलेक्शन व मोटरसाईकिल के किश्ते ऑवरड्यु होने पर मोटरसाईकिल को सिज कर फायनेन्स कम्पनी में जमा कराने का काम करता हूँ। इसी प्रकार श्री भैरूसिंह निवासी चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ के नाम से एक हिरो मोटरसाईकिल फायनेन्स से क्रय की गई थी जिसका उपयोग श्री भैरूसिंह का पुत्र श्री महेन्द्रसिंह करता है जिसकी गाड़ी के नम्बर उक्त मालिक द्वारा मोटरसाईकिल पर नही लगा रखे थे तथा हमारी फायनेन्स कम्पनी की लिस्ट में भी उक्त श्री भैरूसिंह की मोटरसाईकिल के नम्बर प्रदर्शित नही हो रहे थे तथा फायनेन्स लीस्ट में उक्त मोटरसाईकिल के चेचीस नम्बर MBLHAW127M4M03295 है। उक्त मोटरसाईकिल की करीबन चार किश्ते ड्यु होने पर मेरे द्वारा उक्त मोटरसाईकिल की किश्ते जमा कराने के लिये श्री महेन्द्रसिंह से सम्पर्क किया तो किश्ते जमा नही कराने के कारण मेरे द्वारा मोटरसाईकिल को लेकर फायनेन्स कम्पनी में खड़ी कर दी। एक–दो दिन बाद मेरे पुलिस थाना चन्देरिया पर पदस्थापित बीट अधिकारी श्री नांचाराम कान्सटेबल पुलिस थाना चन्देरिया ने मेरे से कहा कि तुम्हारे खिलाफ थाने पर श्री महेन्द्रसिंह की पत्नी की ओर से मोटरसाईकिल चोरी ओर मारपीट से सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज है तो मैंने मोटरसाईकिल की किश्ते ड्यु होने के कारण फायनेन्स ऑफिस में खड़ी होने की बात बताई तो महेन्द्रसिंह द्वारा मोटरसाईकिल सीज के बाद ऑनलाईन पेमेन्ट जमा कराने के कागजात बताने पर मोटरसाईकिल मेरे द्वारा पुलिस थाना चन्देरिया में श्री नांचाराम कान्सटेबल को दे दी उसके बाद श्री नांचाराम ने मेरे मामले को रफा–रफा कराने के लिये डराया धमकाया और मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे से चार हजार रूपये रिश्वत राशि के ले लिये और अब तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि और देने के लिये बार–बार फोन कर रहे है तथा रिश्वत राशि नही देने पर फंसाने की धमकी दे रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ और रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक 16.07.2022

भवदीय,

एस.डी./–
अजीत सिंह 18.07.2022
राजेन्द्र कुमार 18.07.2022

एस.डी./–
गजराजसिंह S/o गोपालसिंह
रामदेव जी का चन्देरिया जिला चितौड़गढ़

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 16–07–22 समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री गजराजसिंह हाड़ा पुत्र श्री गोपालसिंह हाड़ा निवासी रामदेवजी का चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि " निवेदन है कि मैं प्रार्थी गजराजसिंह निवासी रामदेवजी का चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ तथा मैं हिरो मोटरसाईकिल फायनेन्स कम्पनी में काम करता हूँ तथा मोटरसाईकिल इत्यादि के मासिक किश्तों का कलेक्शन व मोटरसाईकिल के किश्ते ऑवरड्यु होने पर मोटरसाईकिल को सिज कर फायनेन्स कम्पनी में जमा कराने का काम करता हूँ। इसी प्रकार श्री भैरूसिंह निवासी चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ के नाम से एक हिरो मोटरसाईकिल फायनेन्स से क्रय की गई थी जिसका उपयोग श्री भैरूसिंह का पुत्र श्री महेन्द्रसिंह करता है जिसकी गाड़ी के नम्बर उक्त मालिक द्वारा मोटरसाईकिल पर नही लगा रखे थे तथा हमारी फायनेन्स कम्पनी की लिस्ट में भी उक्त श्री भैरूसिंह की मोटरसाईकिल के नम्बर प्रदर्शित नही हो रहे थे तथा फायनेन्स लीस्ट में उक्त मोटरसाईकिल के चेचीस नम्बर MBLHAW127M4M03295 है। उक्त मोटरसाईकिल की करीबन चार किश्ते ड्यु होने पर मेरे द्वारा उक्त मोटरसाईकिल की किश्ते जमा कराने के लिये श्री महेन्द्रसिंह से सम्पर्क किया तो किश्ते जमा नही कराने के कारण मेरे द्वारा मोटरसाईकिल को लेकर फायनेन्स कम्पनी में खड़ी कर दी। एक–दो दिन बाद मेरे पुलिस थाना चन्देरिया पर पदस्थापित बीट अधिकारी श्री नांचाराम कान्सटेबल पुलिस थाना चन्देरिया ने मेरे से कहा कि तुम्हारे खिलाफ थाने पर श्री महेन्द्रसिंह की पत्नी की ओर से मोटरसाईकिल चोरी ओर मारपीट से सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज है तो मैंने मोटरसाईकिल की किश्ते ड्यु होने के कारण फायनेन्स ऑफिस में खड़ी होने की बात बताई तो महेन्द्रसिंह द्वारा मोटरसाईकिल सीज के बाद ऑनलाईन पेमेन्ट जमा कराने के कागजात बताने पर मोटरसाईकिल मेरे द्वारा पुलिस थाना चन्देरिया में श्री नांचाराम कान्सटेबल को दे दी उसके बाद श्री नांचाराम ने मेरे मामले को रफा–रफा कराने के लिये डराया धमकाया और मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे से चार हजार रूपये रिश्वत राशि के ले लिये और अब तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि और देने के लिये बार–बार फोन कर रहे है तथा रिश्वत राशि नही देने पर फंसाने की धमकी दे रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ और रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावे।" उक्त रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी श्री गजराजसिंह को हमराह साथ में लेकर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी को उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने मजिद पुछताछ पर बताया कि मैं हिरो मोटरसाईकिल फायनेन्स कम्पनी में काम करता हूँ तथा मोटरसाईकिल इत्यादि के मासिक किश्तों का कलेक्शन व मोटरसाईकिल के किश्ते ऑवरड्यु होने पर मोटरसाईकिल को सिज कर फायनेन्स कम्पनी में जमा कराने का काम करता हूँ तथा श्री भैरूसिंह निवासी चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ के नाम से एक हिरो मोटरसाईकिल फायनेन्स से क्रय की गई थी जिसका उपयोग श्री भैरूसिंह का पुत्र श्री महेन्द्रसिंह करता है जिसकी गाड़ी के फायनेन्स लीस्ट में उक्त मोटरसाईकिल के चेचीस नम्बर MBLHAW127M4M03295 है। उक्त मोटरसाईकिल की करीबन चार किश्ते ड्यु होने पर मेरे द्वारा उक्त मोटरसाईकिल की किश्ते जमा कराने के लिये श्री महेन्द्रसिंह से सम्पर्क किया तो किश्ते जमा नही कराने के कारण मेरे द्वारा मोटरसाईकिल को लेकर फायनेन्स कम्पनी में खड़ी कर दी। एक–दो दिन बाद मेरे पुलिस थाना चन्देरिया पर पदस्थापित बीट अधिकारी श्री नांचाराम कान्सटेबल पुलिस थाना चन्देरिया ने मेरे से कहा कि तुम्हारे खिलाफ थाने पर श्री महेन्द्रसिंह की पत्नी की ओर से मोटरसाईकिल चोरी ओर मारपीट से सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज है तो मैंने मोटरसाईकिल की किश्ते ड्यु होने के कारण फायनेन्स ऑफिस में खड़ी होने की बात बताई तो महेन्द्रसिंह द्वारा मोटरसाईकिल सीज के बाद ऑनलाईन पेमेन्ट जमा

कराने के कागजात बताने पर मोटरसाईकिल मेरे द्वारा पुलिस थाना चन्देरिया में श्री नांचाराम कान्सटेबल को दे दी उसके बाद श्री नांचाराम ने मेरे मामले को रफा–रफा कराने के लिये डराया धमकाया और मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे से चार हजार रूपये रिश्वत राशि के ले लिये और अब तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि और देने के लिये बार–बार फोन कर रहे है तथा रिश्वत राशि नही देने पर फंसाने की धमकी दे रहे है। इसलिये कार्यवाही के लिये उपस्थित आया'' परिवादी ने बताया कि श्री नांचाराम पहले तो मेरे से मोबाईल कॉल पर भी बात कर लेता था परन्तु जब मेरे से चार हजार रूपये लिये उस दौरान् मुझे कहा कि जब भी बात करनी हो तो मेरे नम्बर पर वॉटसअप कॉल करके ही बात करना इसके बाद परिवादी ने अपने पास से उसके आधार कार्ड की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जिसको शामिल कार्यवाही की गई। समय 12.40 पी.एम उपरोक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजिद पुछताछ से आरोपी श्री नांचाराम कान्सटेबल पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध मामला कार्यवाही ट्रेप का पाया जाता है। नियमानुसार रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया जाना वांछित होने से इस संबंध में मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मंतव्य से परिवादी को अवगत कराया जाकर कार्यालय में उपस्थित श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को तलब कर दोनो का आपस में परिचय करवाया जाकर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश दी गई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर वास्ते मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। समय करीब 6.42 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक ने जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया कि मैं व परिवादी श्री गजराजसिंह दोनों ही ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना चन्देरिया के आस–पास पहुँचे वहां पर परिवादी श्री गजराजसिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 8000382643 से संदिग्ध श्री नांचाराम कानि. के मोबाईल नम्बर 9950007582 पर समय करीब 1.52 पी.एम. पर वॉटसअप कॉल किया तो संदिग्ध श्री नांचाराम कानि. ने ड्युटी काम से कोर्ट में होना बताया तथा सांय 5.00 बजे तक फ्री होना बताया उक्त बातचीत को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया उसके बाद मैं व परिवादी श्री गजराजसिंह दोनो ही चन्देरिया में ही एकान्त स्थान पर मुकीम रहे उसके बाद परिवादी श्री गजराजसिंह ने संदिग्ध श्री नांचाराम से समय 6.12 पी.एम. पर वॉटसअप कॉल कर वार्ता की तो संदिग्ध श्री नांचाराम कानि. ने परिवादी को पुलिस थाना चन्देरिया के सामने चाय की होटल पर बुलाया उक्त बातचीत को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया जिसके कुछ समय बाद परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड चालु कर सुपुर्द कर परिवादी श्री गजराजसिंह को रवाना किया तथा मैं भी परिवादी के पिछे–पिछे रवाना होकर पुलिस थाना चन्देरिया के सामने चाय की होटल के आस–पास खड़ा रहा। परिवादी श्री गजराजसिंह कुछ समय बाद चाय की होटल से रवाना होकर मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु अवस्था में सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तत्पश्चात् परिवादी श्री गजराजसिंह ने बताया कि चाय की होटल पर श्री नांचा राम कानि. से बातचीत हो गई है तथा बातचीत के दौरान् मेरे से एक हजार रूपये ले लिये है तथा दो हजार रूपये और मांग की है उक्त बातचीत तथा मोबाईल पर हुई वॉटसअप कॉल को मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक की वार्ता परिवादी से कराई गई तो परिवादी द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि शेष राशि दो हजार रूपये लेकर मुझे सोमवार दिनांक 18.07.2022 को लेकर बुलाया है जिसकी व्यवस्था कर मैं दिनांक 18.07.22 को आपके कार्यालय में प्रातः 7.30 बजे उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय में वहां से रवाना होकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक समय 9.15 पी.एम. पर श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि के मांग सत्यापन होने की पुष्ठि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को उसी अवस्था में कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। आईन्दा परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की जायेगी। दिनांक 18.07.2022 समय

7.00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री अजीतसिंह राठौड़ वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरण बनेड़ा जिला भीलवाड़ा एवं श्री राजेन्द्रकुमार खण्डेलवाल प्रबोधक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीड़ा का खेड़ा रतनपुरा लाछुड़ा आसीन्द जिला भीलवाड़ा कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया तथा श्री गोपाल जोशी हैड. कानि. 65 श्री शिवराजसिंह कानि. भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–द्वितीय भी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 7.30 ए.एम पर परिवादी गजराज सिंह पिता गोपाल सिंह हाडा उपस्थित कार्यालय आया जिसने दिनांक 16.07.2022 को कनिष्ठ सहायक दलपत सिंह द्वारा बताई वार्ता की ताईद की । समय 7.40 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त करने पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में तलब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय आपस में कराया जाकर परिवादी श्री गजराजसिंह की रिपोर्ट दिनांक 16–07–22 को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने गवाहान के समक्ष शब्द–ब–शब्द सही होना मान रिपोर्ट भीलवाड़ा स्थित कोर्ट परिसर में कम्प्यूटर की दुकान से टाईप करवाकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है उक्त वार्ता दोनेा गवाहान को सुनाई गई। दिनांक 16–07–22 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान समय करीब 1.52 पी.एम. पर परिवादी श्री गजराजसिंह के मोबाईल नम्बर 8000382643 से आरोपी श्री नांचाराम कानि. के मोबाईल नम्बर 9950007582 के वॉटसअप कॉल के माध्यम से बातचीत हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की एक मूल पेनड्राईव व एक डब सीडी तैयार की गयी। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री पवन कुमार कानि. से तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर व डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को एक लिफाफे में रखकर कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 16–07–22 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान समय करीब 6.12 पी.एम. पर परिवादी श्री गजराजसिंह के मोबाईल नम्बर 8000382643 से आरोपी श्री नांचाराम कानि. के मोबाईल नम्बर 9950007582 के वॉटसअप कॉल के माध्यम से बातचीत हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की एक मूल पेनड्राईव व एक डब सीडी तैयार की गयी। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री पवन कुमार कानि. से तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर व डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को एक लिफाफे में रखकर कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। 8.25 ए. एम. दिनांक 16–07–22 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गजराजसिंह की वार्तालाप आरोपी श्री नांचाराम कानि. के मध्य आमने सामने हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की एक मूल पेनड्राईव व एक डब सीडी तैयार की गयी। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री पवन कुमार कानि. से तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर व डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को एक लिफाफे में रखकर कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.00 ए.एम. मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री गजराजसिंह ने अपने पास से 500–500 रूपये के चार नोट कुल राशि 2000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है:–

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	**2CG**	**509016**
2	500रूपये का एक नोट	नम्बर	**4HP**	**113308**

3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5UE	933639
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4CP	303140

उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर श्री श्रवण कुमार हैड.कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी के पहने हुए पेन्ट की दांयी की जेब में रखवाये जाकर परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउ्डर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउ्डर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मनतव्य से अवगत कराया गया। समय 9.30 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड, मय स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, श्री अजित सिंह राठौड़ श्री गजराजसिंह परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., श्री गोपाल जोशी हैड. कानि. श्री पवनकुमार कानि., श्री किशोरसिंह कानि. श्री शिवराजसिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित मय वाहन सरकारी टवेरा के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ के लिये रवाना हुए एवं कार्यालय में श्री श्रवणकुमार हैड कानि. को आवश्यक हिदायत देकर छोड़ा गया तथा हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम को निवेदन किया गया। समय 11.15 ए.एम वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, ने परिवादी को आरोपी की लोकेशन मालुम करने हेतु कहा जिस पर परिवादी ने आरोपी के मोबाईल पर फोन लगया तो आरोपी ने कहा की मैं थाने में हूँ थाने के बाहर आकर फोन कर देना मै थाने के बाहर आ जाउगां जिस पर परिवादी ने कहा की मैं थोडी देर में थाने के बाहर पहूँच रहा हूँ। तथा परिवादी ने बताया की आरोपी ने मुझे थाने के बाहर बुलाया है।इस दौरान परिवादी ने अपना एक स्कूटर अपने मित्र को फोन कर मंगवायज्ञं समय 11.40 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक, मय हमराहियान के मय वाहन सरकारी टवेरा के तथा परिवादी को अपने स्कूटर से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पीछे–पीछे पुलिस थाना चन्देरिया की ओर रवाना हुई। समय 11.45 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक, मय हमराहियान के कपासन चौराहा चितौडगढ के पास पहूँच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर अपने स्कुटर से पुलिस थाना चन्देरिया के बाहर चाय की होटल के लिये रवाना किया परिवादी के पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान मय श्री गोपाल जोशी हैड. कानि. श्री पवनकुमार कानि. , श्री किशोरसिंह कानि. श्री शिवराजसिंह कानि. के रवाना होकर पुलिस थाना चन्देरिया के सामने स्थित चाय की होटल के आस–पास मुकिम रहकर परिवादी को निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगी । कुछ देर पश्चात पुलिस थाना चन्देरिया से एक व्यक्ति नीली टीशर्ट पहन कर थाने से बाहर आया तथा परिवादी से बातचीत करने लग गया तथा उक्त व्यक्ति परिवादी को साथ लेकर चाय की होटल के अन्दर ले जाकर आपस में बातचित करने लगा। समय 12.05 पी.एम परिवादी ने चाय की दुकान के बाहर निकल कर निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस दीपिका राठौड़ मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह मय ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री गोपाल जोशी हैड कानि 65, श्री शिवराज सिंह कानि 235, श्री पवन राव कानि 417, श्री किशोर कुमार कानि 49 के परिवादी के पास पहुँचे तभी उक्त टीशर्ट पहने व्यक्ति तेज–तेज कदमो से चलता हुआ पुलिस थाना चन्देरिया के अन्दर जाने लगा तभी परिवादी ने बताया की यह श्री नाचाराम कानि पुलिस थाना चन्देरिया है जिसने मेरे से अभी–अभी 2,000/–रिश्वत राशि ग्रहण की है। जिस पर उक्त व्यक्ति का पिछा किया तो वह व्यक्ति तेज कदमों से चलता हुआ पुलिस थाना चन्देरिया के अन्दर चला गया तथा थाने के बांयी ओर मुड़ कर अपनी जेब से कुछ रूपये निकाल कर थाने के ऊपर जाने वाली सिढ़ियो के ऊपर फेंक कर भागने लगा तभी मन् पुलिस निरीक्षक ने पिछा कर उस भागते हुए व्यक्ति को रोक कर अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री नानचाराम पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद सैनी उम्र 35 साल निवासी गुहाला पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 445 पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोड़गढ़ होना बताया। इस पर आरोपी नानचाराम से पूछा गया कि आपने अभी कुछ समय पूर्व श्री महेन्द्र सिंह की पत्नी द्वारा परिवादी के विरूद्ध दी गई रिपोर्ट को रफा दफा करने की एवज में 2,000/– रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण की है क्या? जिस पर आरोपी ने बताया कि श्री गजराज सिंह मेरे पहले से मिलने वाला है इसके खिलाफ रिपोर्ट आयी थी, जिस पर परिवाद के परिवादी श्री महेन्द्र सिंह को समझाकर श्री गजराज सिंह द्वारा उसके घर से उठाकर लायी गई मोटर साईकिल श्री महेन्द्र सिंह को वापस दिलवायी थी, मेरे व श्री गजराज सिंह के मध्य उधार का लेन–देन बकाया था जो मुझे इसने आज 2000/– रूपये दिये है। इस पर पास ही खड़े परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए

स्वतः बताया कि श्री नानचाराम झुठ बोल रहा है जबकि हकीकत यह है कि श्री महेन्द्र सिंह की मोटर साईकिल को सीज की थी जिस पर श्री महेन्द्र सिंह की पत्नी ने मेरे विरूद्ध पुलिस थाना चन्देरिया पर एक परिवाद दर्ज करवाया जिसकी जॉच श्री नानचाराम कानि कर रहे थे। अभी कुछ समय पूर्व मैने इनको फोन कर पुलिस थाने के बाहर बुलाया जिस पर श्री नानचाराम जी थाने के बाहर आये तथा मुझे चाय की होटल के अन्दर ले जाकर चाय पी तथा होटल से बाहर आकर रेकी कर पुनः चाय की होटल के अन्दर आकर मे से उक्त-परिवाद को रफा–दफा करने की एवज में 2000/– रूपये ग्रहण कर अपनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखें हैं। हम दोनों चाय की होटल से बाहर आए और मैने आपको निर्धारित ईशारा किया जिस पर श्री नानचाराम तेज–तेज कदमों से चलता हुआ थाने के अन्दर चला गया। मेरे व श्री नानचाराम के मध्य कोई उधार का लेन देन बकाया नही है ओर ना ही मैने श्री नानचाराम से कभी पैसे उधार लिये है। हमारे दोनों के बीच में कभी कोई पैसे का लेनदेन नहीं हुआ है। श्री नानचाराम उधार लेन–देन की की बात झुठ बोल रहा है। इस पर पुनः श्री नानचाराम से रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुछा कुछ नही बोला व चुप हो गया तथा दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरे से गलती हो गई मुझे माफ करो मैंने अभी जो गजराज से रिश्वत के दो हजार रुपये लिए थे, वो आप लोगो को देखते ही अपने जेब में से निकाल कर सीढियों में फेंक दिए थे, जो वो सामने पड़े हैं। इसके पश्चात आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का पूर्ण संदेह होने पर आरोपी के दोनों हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री पवन राव कानि. 417 से सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलास निकलाकर पुलिस थाना चन्देरिया में रखे केम्पर में से श्री शिवराज कानि से उक्त कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी झांईदार होना बताया, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला झांईदार हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। । जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात पुलिस थाने के उपर जाने वाली सिढ़ियों पर पड़ी हुई रिश्वत राशि गवाह श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल से उठवाये गये तो 500–500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 2,000/– रूपये होना बताया। उक्त नोटों को दोनों गवाहान से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करने की कहने पर दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु होना बताया। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट बन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क–N अंकित कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात् पुलिस थाना चन्देरिया मे रखे केम्पर मे से श्री पवन राव कानि से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त घोल में रिश्वत राशि बरामदगी स्थल सिढ़ी के स्थान पर एक कपड़े की चिन्दी घुमाकर गिलास में डूबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी मटमैला हुआ। जिसे हाजरीन को दिखया तो उन्होने भी हल्का गुलाबी मटमेला होना बताया जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कर मार्क S-1व S-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कपड़े की चिन्दी को हाजरीन के समक्ष सुखाकर जलाकर नष्ट किया गया। इसके पश्चात श्री शिवराज कानि को भेज कर पुलिस थाना बैरक से एक लोअर मंगवाई जाकर आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेंट बरंग हल्का ग्रे को ससम्मान उतरवाई जाकर मंगवाई गई लोअर पहनवाई गई। तत्पश्चात पुलिस थाना चन्देरिया मे रखे केम्पर में से श्री पवन राव कानि से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी की पहनी हुई पेन्ट बरंग हल्का ग्रे की पिछे की दाहिनी जेब को उक्त रंगहीन धोवण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन को दिखया तो उन्होने भी हल्का गुलाबी झांईदार होना बताया जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर

सिलचिट बंद कर मार्क P-1 व P-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चायत् आरोपी की पेन्ट बरंग हल्का ग्रे रंग की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे एसीबी ली गई। इसके पश्चात परिवादी श्री गजराज सिंह के विरूद्ध दर्ज परिवाद के बारे में आरोपी श्री नानचाराम कानि से पुछा गया तो बताया कि उक्त परिवाद श्री मूलाराम कानि के नाम था,उक्त परिवाद का अप्रार्थी श्री गजराज सिंह मेरे बीट का होने से उक्त परिवाद की जॉच मैने की थी। उक्त परिवाद को शामिल पत्रावली करने की रिपोर्ट श्री मूलाराम कानि से करवाकर परिवाद पुलिस चौकी चन्देरिया पर दे रखा है जिस पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि को मय सरकारी वाहन के भेज कर उक्त परिवाद पुलिस चौकी चन्देरिया से मंगवाया गया। उक्त परिवाद को अवलोकन किया गया तो उक्त परिवाद पुलिस थाना चन्देरिया के परिवाद रजिस्टर के पार्ट तृतीय पर कमांक 405 दिनांक 01.07.2022 को दर्ज होकर जॉच श्री मूलाराम कानि के नाम करने का इन्डोसमेन्ट लगा हुआ पाया गया उक्त परिवाद के साथ श्री महेन्द्र सिंह द्वारा कार्यवाही बन्द करने का प्रार्थना प्रस्तुत संलग्न होना पाया गया। उक्त परिवाद किता तीन मूल ही ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से उक्त परिवाद के प्रथम पृष्ठ व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। पुलिस थाना चन्देरिया के परिवाद रजिस्टर जिस पर उक्त परिवाद दर्ज है जिसकी फोटो प्रति किता 04 करवायी जाकर प्रमाणित करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। इसके पश्चात परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसे चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत राशि लेन–देन की वार्ता दर्ज होना पायी गई जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एसीबी कार्यालय पहुॅच तैयार की जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.30 पी.एम मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.00 पी.एम मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामदगी स्थल पुलिस थाना चन्देरिया का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। 04.30 पी.एम आरोपी श्री नानचाराम पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद सैनी उम्र 35 साल निवासी गुहाला पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 445 पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोड़गढ़ को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.10 पी.एम मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड, मय स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, श्री अजित सिंह राठौड़ श्री गजराजसिंह मय परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., श्री गोपाल जोशी हैड. कानि. श्री पवनकुमार कानि., श्री किशोरसिंह कानि. श्री शिवराजसिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स व सीलचिट शुदा रिश्वत राशि इत्यादि सहित मय वाहन सरकारी टवेरा मय आरोपी श्री नानचाराम के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा के लिये रवाना हो समय 06.30 पी.एम मय हमराहियान के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स व सीलचिट शुदा रिश्वत राशि इत्यादि सहित मय वाहन सरकारी टवेरा मय आरोपी श्री नानचाराम के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा प्रथम पहुॅची। समय 07.54 पी.एम दिनांक 18–07–22 को रिश्वती राशि लेन–देन के दौरान परिवादी श्री गजराजसिंह की वार्तालाप आरोपी श्री नांचाराम कानि. के मध्य आमने सामने हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की एक मूल पेनड्राईव व एक डब सीडी तैयार की गयी। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री पवन कुमार कानि. से तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर व डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को एक लिफाफे में रखकर कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 पी.एम परिवादी श्री गजराजसिंह तथा आरोपी श्री नानचाराम कानि के मध्य दिनांक 16–07–22 एवं 18–07–22 को कमशः रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के दौरान हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 16 जी.बी. जिस पर SanDisk लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार

जब्त किया जाकर मार्क M अंकित किया गया। समय 09.35 पी.एम दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपयोग मे ली गई ब्रास सील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के फारीख हो कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के बाहर पत्थर से तुड़वाकर नष्ट की गई जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.00 पी.एम मेमोरी कार्ड पेन ड्राईव एवं सीडीयां बनाने के सम्बन्ध में धारा 65 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया। दिनांक 19–07–2022 समय 11.10 ए.एम आरोपी श्री नानचाराम कानि पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोड़गढ़ को भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के आवाज का नमूना हेतु पत्रांक 945 दिनांक 19–07–22 एवं पत्रांक 946 दिनांक 19–07–22 से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एवं आरोपी श्री नानचाराम कानि पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोड़गढ़ दिया गया तो आरोपी श्री नानचाराम ने जारी किये गये पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत लिख कर मना किया एवं स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत लिखित में दिया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री नानचाराम कानि 445 पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोड़गढ़ द्वारा परिवादी श्री गजराज सिहं के विरूद्व थाना चन्देरिया पर दर्ज परिवाद को रफा–दफा कराने के लिये डरा –धमका कर परिवादी गजराज सिहं के विरूद्व कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने की एंवज में 10,000/– रूपये रिश्वत राशि मांग कर 4,000/– रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पुर्व लेना एवं दिनांक 16.07.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 1000/– रूपये प्राप्त कर अपनी मांग के अनुसार दिनांक 18.07.2022 को रिश्वत राशि 2,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से रखना एंव ट्रेप पार्टी को देखकर जेब से रूपये निकाल कर थाने के ऊपर जाने वाली सिढ़ियो के ऊपर फेंक दिये ,जहां से रिश्वत राशि 2,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री नानचाराम पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद सैनी उम्र 35 साल निवासी गुहाला पुलिस थाना सदर नीम का थाना जिला सीकर हाल कानिस्टेबल नं. 445 पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोड़गढ़ के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक
भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती दीपिका राठौड़, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री नानचाराम, कानि. 445, पुलिस थाना चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 289/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 2535-39 दिनांक 20.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

20.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।